भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 26

सोमवार, 05 फरवरी, 2024 / 16 माघ, 1945 (शक)

ईपीएफओ बोर्ड का पुनर्गठन

***26. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:**
डॉ. पोन गौतम सिगामणि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) बोर्ड का पुनर्गठन किया है;

(ख) क्या इसमें भारतीय मजदूर संघ के तीन सदस्य और हिन्द मजदूर सभा, सीआईटीयू, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ-एंप्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स से केवल एक-एक सदस्य है;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड में एआईटीयूसी (एटक) और आईएनटीयूसी (इंटक) का प्रतिनिधित्व न होने के क्या कारण हैं जो कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं;

(घ) क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड में एआईटीयूसी (एटक) और आईएनटीयूसी (इंटक) के सदस्यों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेंद्र यादव)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

“ईपीएफओ बोर्ड का पुनर्गठन” के संबंध में डॉ. जी. रणजीत रेड्डी और डॉ. पोन गौतम सिगामणि, माननीय सांसदों द्वारा दिनांक 05.02.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 26 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने दिनांक 12.01.2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 156 (अ) के माध्यम से केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का गठन किया है।

ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 5क(1)(ङ) में सीबीटी, ईपीएफ में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम 10 व्यक्तियों को नियुक्त करने का प्रावधान है। नव गठित सीबीटी, ईपीएफ में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) से 3 व्यक्तिों तथा हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस), भारतीय ट्रैड यूनियन केंद्र (सीआईटीयू), ट्रैड यूनियन समन्वय केंद्र (टीयूसीसी), स्वनियोजित महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) और नैशनल फ्रन्ट ऑफ इंडियन ट्रैड यूनियनस (एनएफआईटीयू) से एक-एक व्यक्ति को मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय ट्रैड यूनियन कॉंग्रेस (आईएनटीयूसी) के प्रतिनिधियों के लिए दो स्लॉट रिक्त रखे गए हैं। आईएनटीयूसी के दलों के बीच लंबित न्यायालयी मामलों को ध्यान में रखते हुए नवगठित सीबीटी, ईपीएफ में आईएनटीयूसी के प्रतिनिधियों का मनोनयन नहीं किया गया है।

*****